

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1481

दिनांक 21/11/2022

प्रार्थीनी :-

1.चांदी बेवा पैलाद,  
जाति मुसलमान  
निवासी बूठ राठौड़ान  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1. दादू 2.हीरा 3.चेना 4.तुलछा पि.प्रेमा 5.धापू पत्नि प्रेमा
- 6.सरूपा पुत्र जाका 7.जमना पत्नि जाका जातियान मेघवाल
- 8.देराज 9.उकाराम पि.सेदानराम 10.नवलाराम 11.धर्मराम पि.
- तेजाराम 12.अणछी पत्नि मेणाराम 13.मथरी पत्नि ताराराम,
- जातियान भील, निवासी बूठ राठौड़ान
- 14.दूदाराम पुत्र बाकाराम, जाति जाट, निवासी नेतराड़
- 15.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 114/2018

दिनांक : 11.11.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बूठ राठौड़ान के मौजा बूठ राठौड़ान के खेत खसरा सं. 766/365 रकबा 60.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीनी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/1482 to 1484

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीनी चांदी
3. विप्रार्थीगण दादू वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन OK

दिनांक 21/11/2022



(भागीरथ रांभ II)

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन OK